



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर डीग(राज0)

'कैम्प कोर्ट राष्ट्रीय लोक अदालत कोर्ट परिसर डीग'

प्र0सं0 22/2024 (जी.सी.एम.एस.नम्बर: 2024/257)

पीठासीन अधिकारी:-श्री देवी सिंह

(R.A.S)

उनवान

भेंवर सिंह पुत्र परभाती जाति जाटव निवासी ग्राम नगला राधे तहसील व जिला डीग(राज0)

-प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,

निर्णय

दिनांक: 10.05.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बरान 2256/0.22, 2257/0.14, 2258/0.13, 2259/0.22, 2260/0.14, 2261/0.24, 2262/0.12, 2263/0.14, 2264/0.14, 2265/0.15, 2266/0.21, 2267/0.11, 2268/0.12, 2269/0.11, का हिस्सा 1/15 व खसरा नम्बरान 2278/0.14, 2371/0.22, 2372/0.27, 2373/0.27, 2374/0.16, 2375/0.12, 2376/0.12, 2377/0.13, 2378/0.13, 2379/0.23, 2382/0.19, 2385/0.19, 2386/0.19, 2397/0.21, 2405/0.19, 2416/1.16, 2417/0.23, 2421/0.17, 2422/0.22, 2423/0.12, 2424/0.14, 2430/0.29, 2431/0.14, 2432/0.14, 2433/0.15, 2434/0.19, 2435/0.07, 2441/0.11, 2442/0.28, 2443/0.17, 2444/0.12, 2445/0.09, 2446/0.07, 2447/0.11, 2448/0.12, 2449/0.19, 2451/0.14, का हिस्सा 35/576 व खसरा नम्बरान 2233/0.19, 2234/0.19, 2235/0.14, 2236/0.14, 2237/0.16, 2240/0.14, 2241/0.15, 2242/0.09, 2243/0.43, 2244/0.63, 2245/0.14, 2246/0.05, 2247/0.13, 2248/0.29, 2249/0.21, 2250/0.34, 2251/0.15, 2252/0.06, 2253/0.19, 2254/0.53, 2255/0.15, 2276/0.26, 2277/0.24 का हिस्सा 5/96 वाके ग्राम अऊ तहसील डीग में स्थित है। जोकि प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रार्थी वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता परभाती का सन 1970 में निधन होने के समय प्रार्थी की आयु करीव 10-12 साल के आस पास थी उस समय प्रार्थी को गोंव में भदई के नाम से बोलते थे जिस कारण पिता के मरने के बाद राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रार्थी के भाई फग्गन व नत्थन के साथ भदई पुत्र परभाती दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम भेंवर सिंह पुत्र परभाती था तथा प्रार्थी का उस समय के शैक्षणिक दस्तावेज में भी भेंवर सिंह पुत्र परभाती दर्ज था,लेकिन आराजी/राजस्व रिकार्ड में लगातार प्रार्थी का नाम भदई पुत्र परभाती दर्ज किया जा रहा है। प्रार्थी राजकीय कर्मचारी रहा है तथा प्रार्थी के सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड,पेन

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.




कार्ड, पेंशन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, प्रार्थी की बैंक पास बुक व राशन कार्ड आदि सभी में भवर सिंह पुत्र परभाती दर्ज है तथा भदई पुत्र परभाती एवं भँवर सिंह पुत्र परभाती एक ही व्यक्ति के नाम है। अलग अलग व्यक्ति नहीं है जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत अऊ द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 16.03.2023 संलग्न है। उक्त आराजी के खाता संख्या 420 में दर्ज आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का निवास ग्राम नगला राधे के स्थान पर ग्राम भूतका तहसील नगर दर्ज किया जा रहा है जो गलत है प्रार्थी जन्म से ही ग्राम नगला राधे तहसील डीग का स्थाई निवासी है तथा प्रार्थी के सभी दस्तावेजात में ग्राम नगला राधे का निवासी होना दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भदई पुत्र परभाती दर्ज होने से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है और प्रार्थी राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी फायदा गलत नाम के कारण नहीं ले पा रहा है। राजस्व रिकार्ड में जो प्रार्थी का गलत नाम भदई पुत्र परभाती दर्ज किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी स्थित ग्राम अऊ तहसील डीग के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भदई पुत्र परभाती के स्थान पर भँवर सिंह पुत्र परभाती दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे तथा खाता संख्या 420 में दर्ज आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की साकिन ग्राम भूतका तहसील नगर के स्थान पर ग्राम नगला राधे तहसील डीग दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थी/तहसीलदार डीग को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार डीग ने पत्रांक: एलआर/2024/2794 दिनांक 18.11.2024 में अंकित किया गया है कि "राजस्व रिकार्ड ग्राम अऊ के खाता संख्या 155 में भदई पुत्र परभाती हि0 35/576 जाति जाटव सा0 नगला राधे व खाता संख्या 420 में भदई पुत्र परभाती 5/96 जाति जाटव सा0 नगला राधे खातेदार दर्ज है। जबकि खाता संख्या 420 में भदई पुत्र परभाती हि0 1/15 जाटव सा. भूतका तहसील नगर खातेदार दर्ज है जो सा.भूतका तहसील नगर गलत दर्ज है। इसके स्थान पर सा0 नगला राधे तहसील डीग शुद्ध किया जाना है। प्रस्तुत दस्तावेजात व राजस्व रिकार्ड के आधार पर राजस्व रिकार्ड में भदई उर्फ भँवर सिंह पुत्र परभाती जाति जाटव सा0 नगला राधे किये जाने की अनुशंषा की जाती है।"

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि प्रार्थी की जाति ठाकुर के स्थान पर जाट किये जाने क आदेश फरमायें।

वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। आराजी खसरा नम्बरान 2256/0.22, 2257/0.14, 2258/0.13, 2259/0.22, 2260/0.14, 2261/0.24, 2262/0.12, 2263/0.14, 2264/0.14, 2265/0.15, 2266/0.21, 2267/0.11, 2268/0.12, 2269/0.11, का हिस्सा 1/15 व खसरा नम्बरान 2278/0.14, 2371/0.22, 2372/0.27, 2373/0.27, 2374/0.16, 2375/0.12, 2376/0.12, 2377/0.13, 2378/0.13, 2379/0.23, 2382/0.19, 2385/0.19, 2386/0.19, 2397/0.21, 2405/0.19, 2416/1.16, 2417/0.23, 2421/0.17, 2422/0.22, 2423/0.12, 2424/0.14, 2430/0.29, 2431/0.14, 2432/0.14, 2433/0.15, 2434/0.19, 2435/0.07, 2441/0.11, 2442/0.28, 2443/0.17, 2444/0.12, 2445/0.09, 2446/0.07, 2447/0.11, 2448/0.12, 2449/0.19, 2451/0.14, का हिस्सा 35/576 व खसरा नम्बरान 2233/0.19, 2234/0.19, 2235/0.14, 2236/0.14, 2237/0.16, 2240/0.14, 2241/0.15,


उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

2242/0.09, 2243/0.43, 2244/0.63, 2245/0.14, 2246/0.05, 2247/0.13, 2248/0.29, 2249/0.21, 2250/0.34, 2251/0.15, 2252/0.06, 2253/0.19, 2254/0.53, 2255/0.15, 2276/0.26, 2277/0.24 का हिस्सा 5/96 वाके ग्राम अऊ तहसील डीग के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भदई पुत्र परभाती के स्थान पर भँवर सिंह पुत्र परभाती दर्ज किये जाने तथा खाता संख्या 420 में दर्ज आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की साकिन ग्राम भूतका तहसील नगर के स्थान पर ग्राम नगला राधे तहसील डीग किये जाने की मांग की गई है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि:-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बरान 2256/0.22, 2257/0.14, 2258/0.13, 2259/0.22, 2260/0.14, 2261/0.24, 2262/0.12, 2263/0.14, 2264/0.14, 2265/0.15, 2266/0.21, 2267/0.11, 2268/0.12, 2269/0.11, का हिस्सा 1/15 व खसरा नम्बरान 2278/0.14, 2371/0.22, 2372/0.27, 2373/0.27, 2374/0.16, 2375/0.12, 2376/0.12, 2377/0.13, 2378/0.13, 2379/0.23, 2382/0.19, 2385/0.19, 2386/0.19, 2397/0.21, 2405/0.19, 2416/1.16, 2417/0.23, 2421/0.17, 2422/0.22, 2423/0.12, 2424/0.14, 2430/0.29, 2431/0.14, 2432/0.14, 2433/0.15, 2434/0.19, 2435/0.07, 2441/0.11, 2442/0.28, 2443/0.17, 2444/0.12, 2445/0.09, 2446/0.07, 2447/0.11, 2448/0.12, 2449/0.19, 2451/0.14, का हिस्सा 35/576 व खसरा नम्बरान 2233/0.19, 2234/0.19, 2235/0.14, 2236/0.14, 2237/0.16, 2240/0.14, 2241/0.15, 2242/0.09, 2243/0.43, 2244/0.63, 2245/0.14, 2246/0.05, 2247/0.13, 2248/0.29, 2249/0.21, 2250/0.34, 2251/0.15, 2252/0.06, 2253/0.19, 2254/0.53, 2255/0.15, 2276/0.26, 2277/0.24 का हिस्सा 5/96 वाके ग्राम अऊ तहसील डीग के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भदई पुत्र परभाती के स्थान पर भँवर सिंह पुत्र परभाती दर्ज किये जाने तथा खाता संख्या 420 में दर्ज आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की साकिन ग्राम भूतका तहसील नगर के स्थान पर ग्राम नगला राधे तहसील डीग दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु निर्णय प्रति तहसीलदार डीग को भिजवाई जावे।

7

(देवी सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प डीग में लिखाया जाकर सुनाया गया।



7

(देवी सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.